

27.11.24

आप पत्रावली पेश हुई वकील अपील
उपाजल अपीलवाली की अपील स्वीकार की
जाती है विद्वत निणय वृधक से लिखाप
जान्त शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली
फैलल शुफल हो व बाद तल्लील दाखिल
दफतर ही

आदेश सुनाया गया

Mansu
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

13.12.24

रैस्पोंडेंट सं. 3 की ओर प्रा. पत्र अंतर्गत
धारा 152 जा. ही. पेश करने पर पत्रावली
तलब की गई प्रा. पत्र 152 जा. ही. पेश कर
अवगत बताया कि न्यायालय द्वारा पार्टी प्रिंनि
दिनांक 27.11.2024 में अपील-लग्न की जाते
हुए के स्थान पर सुपर, भम्बल पुत्र नाम
के स्थान पर भम्बल पुत्र नाम पर एवं भरतू
पुत्र भम्बल के स्थान पर भरतू पुत्र भम्बल दर्ज
हो गया है जिसे सुद्ध किया जावे

हमारे प्रा. पत्र के पत्रावली का अवलोकन
किया। बाद अवलोकन यह प्रतीत होता है कि
अंत गलति का संभव जो हुआ है पि-हे धारा
152 जा. ही. के तहत दुरुस्त किया जा सका
तथा उक्त दुरुस्ती की जाने से अपील-ब
रैस्पोंडेंट के हितो पर किसी प्रकार का प्रतिकूल
प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है

Mansu

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

बनाम

मु. सं.

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अतः डा. पत्र अनुपल संशोधन किने
जागे के आदेश दिये जाते हैं संशोधित
निर्णय लिखाया जाकर शामिल पत्रावली
किने गिना

आदेश सुनाया गिना

M. S. S.

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)